जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

E.O.I. (Expression of Interest) विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित संशोधित स्व-वित्तीय पेंशन योजना के संचालन हेतु पेंशन फण्ड प्रबन्धन एवं पेंशन भुगतान संबंधी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाएं जैसे एल.आई.सी., एस.बी.आई. जैसी संस्थाओं से **E.O.I. (Expression of Interest)** आमंत्रित किये जाते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.09.2026 शाम 05.00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर में सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.jnkvv.org** पर उपलब्ध है।

IPRO/Reg./2026/107

कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में संचालित संशोधित स्ववित्तीय पेंशन योजना के पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अधिकृत वित्त संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित कर फंड मैनेजर की नियुक्ति हेतु

म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक बी–4/14/2013/14–2, दिनांक 28 अप्रैल 2015 में राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रि–परिषद् आदेश आयटम क्र. 11 दिनांक 03 मार्च 2015 को निर्णय लिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में विभागीय आदेश क्रमांक बी–4/14/2013/14–2 दिनांक 09.11.1994 के अतंर्गत संचालित स्ववित्तीय पेंशन योजना के आदेश को संशोधित किया जाकर परिवर्तित स्वरूप में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना 01 अप्रैल 2014 से छटवें वेतनमान के अनुसार संचालित की जा रही है।

मंत्रि–परिषद के उक्त निर्णय के पालन में एवं म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक बी–4/14/2013/14–2, दिनांक 28 अप्रैल 2015 की कंडिका क्र. 8 अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाएं जैसे एल.आई.सी., एस.बी.आई. जैसी मान्य संस्थाओं से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में संचालित संशोधित स्ववित्तीय पेंशन योजना का नियमानुसार पेंशन संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

निविदा की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार है –

1. *जिन्हें शासन से पेंशन योजना चलाने की अनुमति प्राप्त हो, का अधिकारिता प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।*
2. *पेंशनभोगियों की अनुमानित संख्या वर्तमान में 1450 के लगभग है, जो भविष्य में 1700 तक होना संभावित है ।*
3. *पेंशन फंड प्रबंधन तथा पेंशन वितरण का कार्य किसी एक संस्था द्वारा ही किया जायेगा।*
4. *मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक बी–4/14/2013/14–2, दिनांक 28 अप्रैल 2015 द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित स्व वित्तीय पेंशन योजना को संशोधित किया जाकर परिवर्तित स्वरूप में 01.04.2014 से छटवें वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय के पेंशन फंड में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग केवल पेंशन भुगतान में ही किया जावेगा।*
5. *स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को देय, पेंशन भुगतान पर क्या कोई सेवा प्रभार लिया जावेगा ? यदि हाँ, तो प्रति पेंशनर्स प्रतिमाह सेवा प्रभार की दरे क्या होगी, स्पष्ट करें।*
   निःशुल्क सेवा प्रदाय की जाने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. *पेंशन फंड प्रबंधक द्वारा विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के समस्त पेंशनभोगियों का संपूर्ण भारत में अपनी विभिन्न शाखाओं/ पेंशन भुगतान प्रकोष्ठों के माध्यम से, पेंशन की गणना कर प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में प्रत्येक पेंशनभोगी के खाते में सीधे जमा करना होगा।*
7. *पेंशनभोगी द्वारा पेंशन हेतु प्रदाय किसी भी बैंक खाते में राशि हस्तातंरित करना अनिवार्य होगा।*
8. *वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार स्ववित्तीय पेंशन योजना के संबंध में पेंशन योजना एवं पेंशन की दरों में परिवर्तन आपको विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय सूचित किया जावेगा। तद्नुसार गणना कर पेंशन का भुगतान आगामी माह से किया जाना सुनिश्चित करना होगा।*
9. *पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र संबंधित बैंक द्वारा पेंशन फंड प्रबंधक को प्रेषित किया जायेगा।*
10. *विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेश* **(PPO)** *जारी करने के पश्चात पेंशन फंड प्रबंधक को समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा महंगाई, राहत इत्यादि से संबंधित दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।*
11. *विश्वविद्यालय से पूर्व में सेवानिवृत्त लगभग 1450 पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान आदेश* **(PPO)** *को चयनित वित्तीय संस्था द्वारा संधारण एवं सुरक्षित रखा जावेगा।*
12. *समस्त गणना संबंधित पेंशन फंड प्रबंधक द्वारा की जावेगी एवं यदि नियमित पेंशन से परिवार पेंशन में परिवर्तन भी पेंशन फंड प्रबंधक को करना होगी।*
13. *पेंशन फंड प्रबंधक द्वारा पेंशनर्स के आयकर संबंधी* **Form-16** *उपलब्ध कराना होगा।*
14. *आयकर अधिनियम* **Rule 89** *का परिपालन सुनिश्चित करना होगा। नियामक ऑथोरिटी /* IT Act *का नियमानुसार परिपालन किया जाना आवश्यक होगा।*
15. *समस्त पेंशनभोगियों का देय पेंशन राशि के व्यय का मासिक विवरण दिये गये प्रारूप में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराना होगा।*
16. *विश्वविद्यालय एवं संस्था के मध्य अनुबंध 03 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा कार्य संतोषजनक होने पर 02 वर्ष की और वृध्दि की जा सकती है, साथ ही कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष से सेवायें समाप्त की जा सकती है। इस हेतु विश्वविद्यालय एवं पेंशन फंड प्रबंधक के मध्य रजिस्र्टड एम.ओ.यू.* **(MOU)** *किया जायेगा।*
17. *जो भी संस्था निविदा में भाग लेगी, उनका निर्णय लेने वाले सक्षम आधिकारी का कार्यालय मध्यप्रदेश में होना आवश्यक है।*
18. *विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक दल प्रतिवर्ष पेंशन फंड का आडिट करेगा।*
19. *समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के हित में सुरक्षित रहेंगे। किसी भी वाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय खंडपीठ, जबलपुर (म.प्र.) का होगा।*
20. *निविदा में संपर्क अधिकारी का मोबाईल नंबर एवं वर्तमान पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।*